उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या- 98/IX-1/26/2015
देहरादूनः दिनांक 09 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति

राज्य में सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों में सुधार लाने के लिये उत्तराखण्ड राज्य सडक सुरक्षा नीति निम्न लिखित रूप में हैः-

उद्देशिका

1:- हाल के वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं, घायल होने और मौत हो जाने की घटनाओं में वृद्धि होने के संबंध में उत्तराखण्ड सरकार अत्यंत चिंतित है। सरकार मानती है कि ये दुर्घटनाए अब जन स्वास्थ्य का प्रमुख मुद्दा बन चुकी है और पीड़ित व्यक्ति अधिकांश रूप से निर्धन और सुभेद्य दुर्बल लोग होते हैं।

2:- उत्तराखण्ड सरकार आगे यह भी मानती है कि चूंकि सड़क दुर्घटनाओं में मानवों के साथ-साथ वाहन और मार्ग भी सम्मिलित होते हैं, अतः इस समस्या को एक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है। वह यह भी मानती है कि अधिकारिता का विचार किये बिना भी मार्ग दुर्घटनाओं, घायल होने और मौत हो जाने की घटनाओं में कमी लाने के लिये केन्द्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।

3:- इस आलोक में, उत्तराखण्ड सरकार अपनी इस उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति के माध्यम से, सड़क दुर्घटनाओं में परिणित होने वाली मृत्यु संख्या और विकृति में भारी कमी लाने के लिए अपनी संकल्पता व्यक्त करती है।

उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति

सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी लाने के लिये उत्तराखण्ड सरकार निम्नानुसार संकल्पबद्ध है:

(i) सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दों पर जागृति पैदा करना।

सरकार, सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं, इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के संबंध में जागृति पैदा करने के अपने प्रयासों में वृद्धि करेगी और यह देखेगी कि सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती समस्या का निराकरण कैसे किया जाये। इस के द्वारा विभिन्न स्टेकहोल्डर्स सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अपनी भूमिका निभाने में योग्य और सशक्त होंगे।

(ii) **सड़क सुरक्षा सूचना डाटा बेस स्थापित करना**

फौरी अन्वेषण और डाटा संकलन, पारेषण और विश्लेषण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये सरकार स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करेगी। इस गतिविधि को निरंतरता व नीतिगत निर्देश प्रदान करने के लिये एक राज्य सड़क सुरक्षा सूचना प्रणाली स्थापित की जायेगी।

(iii) **सुरक्षित मार्ग अवरांरचना सुनिश्चित करना**

सरकार, ग्रामीण और शहरी सड़कों के डिजायन में सुरक्षा से संबंधित मानकों की समीक्षा के उपाय करेगी और राज्य की यातायात परिस्थितियों के दृष्टिगत उन्हें सर्वश्रेष्ठ चलनों के अनुरूप बनायेगी। एक सुरक्षित और दक्ष यातायात प्रणाली स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय संरचना के अधीन इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) की प्रयोज्यता की निरंतरता को बढ़ावा दिया जायेगा।

(iv) **सुरक्षित वाहन**

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठायेगी कि सड़क का उपयोग करने वालों (पैदल चलने वालों और साइकल चलाने वालों सहित) पर वाहन चालन के प्रतिकूल सुरक्षा एवं पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मानकों व चलनों के अनुसार मोटरीकृत और अमोटरीकृत वाहनों के डिजायन, सन्निर्माण, उपयोग, प्रचालन और अनुरक्षण के चरण में ही सुरक्षा के फीचर्स निर्मित किये जायें।

(v) **सुरक्षित चालक**

सरकार, चालकों की सक्षमता में सुधार लाने के लिये चालकों की लाइसेन्सिंग और उनके प्रशिक्षण की प्रणाली को सशक्त करेगी।

(vi) **सुभेद्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा**

सभी सड़क सुविधाओं (ग्रामीण व शहरी) के डिजायन और निर्माण के समय अमोटरीकृत यातायात और सुभेद्य व विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं का उपयुक्त रूप से ध्यान रखा जायेगा। इस संबंध में सरकार नगर नियोजकों, आर्किटेक्ट्स और हाइवे व ट्रैफिक इन्जीनियर्स को 'श्रेष्ठ चलनों' की जानकारी लेने को कहेगी।